रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 1985/फाल्गुन 8, 1906
No. 76] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 1985/PHALGUNA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1985

सा.का.नि. 103(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (महानिदेशक आकाशवाणी की भर्ती) नियम, 1963 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (महानिदेशक, आकाशवाणी की भर्ती) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (महानिदेशक, आकाशवाणी की भर्ती) नियम, 1963 में—

(i) नियम 1 में, "आकाशवाणी" शब्दों के स्थान पर "आकाशवाणी और दूरदर्शन" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6क
1. महानिदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन	*2 (1984) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	3000 रु. (नियत)	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। (ii) शैक्षिक, सांस्कृतिक, प्रचार या वृत्तिक संस्था/संगठन में किसी पर्यवेक्षी हैसियत में 18 वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत संगठन के लिए योग्यता और क्षमता के साथ पर्याप्त साधारण प्रशासनिक अनुभव भी है। (iii) भारत की सांस्कृतिक विरासत और देश की साहित्यक, सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों के विभिन्न रूपों का ज्ञान। (iv) सामयिक और समकालीन विचारों का ज्ञान। टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	नहीं	वर्ष

7	8	9
टिप्पण : 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।		

भर्ती की पद्धति। भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
10	11
(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 50 प्रतिशत पुनर्नियोजन या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या सीधी भर्ती द्वारा, भर्ती की निश्चित पद्धति का विनिश्चय प्रत्येक अवसर पर, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।	प्रोन्नति : ऐसा अपर महानिदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन, जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है । पुनर्नियोजन अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह "क" के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी, जो अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख को अपर सचिव, भारत सरकार या समतुल्य के पदों पर कार्य कर रहे थे और जिनके पास स्तंभ 7(ii) में उल्लिखित प्रकार का अनुभव है । टिप्पण : पुनर्नियोजन की दशा में, ऐसा पुनर्नियोजन 62 वर्ष की आयु से अधिक जारी नहीं रहेगा । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह "क" के ऐसे अधिकारी, जो अपर सचिव, भारत सरकार के पद पर कार्य कर रहे हैं या उस पद पर नियुक्ति के पात्र हैं और जिनके पास स्तंभ 7(ii) में उल्लिखित प्रकार का अनुभव है । (फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
(प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (ii) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य	सीधी भर्ती और किसी अधिकारी का पुनर्नियोजन पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[सं. 12019/2/84—बी(ए)(i)]

*मूल नियम सा.का.नि. 1155, तारीख 6-7-1963 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका सा.का.नि. सं. 874 तारीख 16-10-1982 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th February, 1985

G.S.R. 103(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the All India Radio (Recruitment of Director General, All India Radio) Rules, 1963, namely :—

(a) These rules may be called the All India Radio (Recruitment of Director General, All India Radio) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Recruitment of Director General, All India Radio) Rules, 1963—

(i) in rule 1, for the words "All India Radio", the words "All India Radio and Doordarshan", shall be substituted.

(ii) for the schedule the following schedule shall be substituted, namely:

SCHEDULE

Name of post	No. of Post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972	Educational and other Qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(7)
1. Director General All India Radio/ Doordarshan.	2* (1984) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 3000/- (fixed)	Selection	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Govt. servants by 5 years, in accordance with the instructions or orders, issued by Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential : (i) Degree from a recognised University or equivalent. (ii) 18 years' experience in a supervisory capacity in educational, cultural publicity or professional Institution/organisation, including adequate general administrative experience with ability and capacity for organisation. (iii) Knowledge of India's Cultural heritage and of different forms of literary, cultural and artistic expressions in the country. (iv) Knowledge of current affairs and contemporary thought. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
							Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of the selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates, from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
No	2 years	(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment. (ii) 50% by re-employment or transfer on deputation or direct recruitment, the exact method of recruitment to be decided in consultation with the UPSC on each occasion.	Promotion : Additional Director General, All India Radio/Doordarshan with 3 year's regular service in the grade. Re-Employment : Retired officers of All India Services or Central Services group 'A' who were working against the posts of additional Secretary to the Government of India or equivalent on the date of their retirement and possessing experience of the type mentioned in (ii) under column 7. Note : In the case of re-employment, such re-employment shall not continue beyond the age 62 years. Transfer on Deputation . Officers of All India Services or Central Services Group 'A' working in or eligible for appointment to the post of Additional Secretary to the Government of India and

8	9	10	11
			possessing experience of the type mentioned in (ii) under Column 7. "(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 5 years.)"

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee. (for considering promotion and confirmation) (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman (ii) Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member.	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment and selecting an officer for appointment on re-employment.

[No. 12019/2/84-B(A)(i)]

S.R. SINGH, Jt. Secy.

*The Principal rules were notified vide G.S.R. No. 1155 dated the 6-7-1963 and subsequently amended vide G.S.R. No. 874 dated the 16-10-1982

सा.का.नि. 104(अ) .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "क") भर्ती नियम, 1963* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "क") भर्ती (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "क") भर्ती नियम, 1963 में—

(1) आकाशवाणी (समूह "क") भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, अपर महानिदेशक के पद से संबंधित क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	7क	8
28. अपर महानिदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन		2* (1984) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	2500-125-2-2750 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता